उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–3
संख्याः 34 /सू0का0अ0/XX-3/2026–08(03)2024
देहरादून, दिनांकः 16 सितम्बर, 2026

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपने सूचनानुरोध पत्र दिनांक–07.09.2026 का अवलोकन ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सूचना शुल्क रू0 10 के भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या– सहित इस अनुभाग कार्यालय में दिनांक–09.09.2026 को प्राप्त हुआ है।

2– आपके सूचनानुरोध पत्र के बिन्दु संख्या–01 से 03 तक चाही गयी सूचना के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध सूचना विवरण निम्नवत् हैः–

बिंदु संख्या	प्रेषित की जाने वाली सूचना का विवरण
1	उत्तराखण्ड अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारियों के कुल 137 पद सृजित है तथा सृजित पदों के सापेक्ष वर्तमान में 76 पद रिक्त हैं।
2	सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती की कार्यवाही उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्पादित की जाती है। शासन के पत्र दिनांक–02.09.2026 के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारियों के 74 पदों का अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को प्रेषित किया गया है।
3	इस बिन्दु में भविष्य की सम्भावना/ पूर्वानुमान की सूचना चाही गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–2(एफ) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध एवं अभिलेखित सूचना ही प्रदान की जाती है।

3– यदि आप उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो निर्धारि समयावधि 30 दिनों के भीतर प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तु कर सकते है, जिनका नाम व पता निम्नवत् हैः–

श्री अनिल काला,
अनु सचिव/प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी,
नॉर्थ ब्लॉक भवन, भूतल,
04–सुभाष रोड, सचिवालय, देहरादून।

G.S. Tyagi 16.9.2026
(गौरी शंकर त्यागी)
लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।
मो0 नं0–9927699375

RTI Letter doc